



माननीय राजस्व मण्डल म090 ग्वालियर केम्प इंदौर के समक्ष,

R-2303-PBR/14

गोकुल पिता बहादुरसिंह अज्ञान

तथै, मित्र ~~बहादुर~~सिंह पिता सुनेरसिंह जी
भदरू

निवासी : ग्राम छुगनाचद जिला उज्जैन ----- गाधी

शु.जी डिप्टा वर्मा
अभिभाषक काम
आज दिनांक 15-7-14
को इन्डोर केम्प पर छस्तुत। वि रू ६
ज/म
15-7-14

Om
18-7-14

- 01- संगीता बाई पिता सुनेरसिंह
निवासी ग्राम बिरगोटा तहसील देपालपुर
जिला-इंदौर
- 02- बहादुर सिंह पिता सुनेरसिंह
निवासी सदर
- 03- श्रीमती राजूबाई पति बहादुरसिंह
निवासी सदर
- 04- श्रीमती गौरीबाई पति सुनेरसिंह
निवासी सदर
- 05- लीलाबाई पिता सुनेरसिंह
छठ निवासी सदर
- 06- कुन्ताबाई पिता सुनेरसिंह
निवासी सदर

मपुसरेका
मपुसीग

----- प्रतिगाधीगण

रिचीजन व अन्तर्गत धारा 50 म090 भूराजस्व संहिता 1959

गाधी, रा. रा. श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय द्वारा
नामान्तरण प्र0क्रं 11-अ/6/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 14/7/14
क से अंततुष्ट होकर यह रिचीजन पेत्र है :-
----- Om

2015-16-17-18

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2303-PBR/14

जिला इन्दौर

स्थान तथा दिनांक


कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

8-9-2015

उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार, तहसील देपालपुर जिला इन्दौर द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 14-7-14 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 16-7-14 को अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है । अतः यह निगरानी निरर्थक हो जाने के कारण निरस्त की जाती है ।




(मनोज गोयल)
अध्यक्ष